रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252848
CG-DL-E-11032024-252848

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1169] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2024/फाल्गुन 21, 1945
No. 1169] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2024/PHALGUNA 21, 1945

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2024

का.आ. 1231(अ).—केंद्रीय सरकार, नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उपनियम (1) और उपनियम (3) के साथ पठित नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 6ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :--

(i) नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उपनियम (1) और नियम 13क के प्रयोजनों के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में एक सशक्त समिति होगी, जिसका प्रमुख संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का निदेशक (जनगणना प्रचालन) होगा और वह सदस्यों के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) भारत सरकार के उपसचिव की रैंक से अन्यून सहायक आसूचना ब्यूरो में अधिकारी;

(ख) संबंधित क्षेत्राधिकार वाला विदेशी विषयक क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ;

(ग) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का राष्ट्रीय सूचना केंद्र का राज्य सूचना अधिकारी ; और

(घ) संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का पोस्ट मास्टर जनरल या भारत सरकार के उप सचिव की रैंक से अन्यून पोस्टर मास्टर जनरल द्वारा नामित किया जाने वाला डाक अधिकारी;

(ii) निम्नलिखित अधिकारी सशक्त समिति के आमंत्रिती होंगी, अर्थात् :--

(क) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रधान सचिव (गृह) या अपर मुख्य सचिव (गृह) के कार्यालय से एक प्रतिनिधि ; और

(ख) क्षेत्राधिकार वाले प्रभागीय रेल प्रबंधक, रेलवे का एक प्रतिनिधि;

(iii) नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उपनियम (3) और नियम 38 के उपनियम (3) के प्रयोजनों के लिए, एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसका प्रमुख संबंधित क्षेत्राधिकार वाला वरिष्ठ डाक अधीक्षक या अधीक्षक होगा, जो नामनिर्दिष्ट अधिकारी होगा और वह सदस्यों के रूप में निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) संबंधित जिले का जिला सूचना अधिकारी या जिला सूचना सहायक; और

(ख) केंद्र सरकार का मनोनीत अधिकारी;

(iv) निम्नलिखित अधिकारी जिला स्तरीय समिति के आमंत्रिती होंगे, अर्थात् :--

(क) जिला कलेक्टर के कार्यालय से नायब तहसीलदार या समतुल्य से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि; और

(ख) संबंधित क्षेत्राधिकार वाला स्टेशन मास्टर, रेलवे (उपलब्धता के अधीन रहते हुए);

(v) उपरोक्त प्रत्येक समिति का कोरम अध्यक्ष सहित दो होगा।

2. सशक्त समिति द्वारा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 6ख के अधीन रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता का अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नागरिकता नियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के उपबंधों के अनुसार होगा, अर्थात् :--

(क) उक्त नियमों के अधीन आवेदक द्वारा भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण या भारत के नागरिक के रूप में देशीयकरण के प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने के लिए आवेदन आनलाइन किया जायेगा;

(ख) आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन प्रथम पैरा के खंड (iii), खंड (iv) और खंड (v) में यथाविनिर्दिष्ट जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा;

(ग) नामनिर्दिष्ट अधिकारी आवेदक को नागरिकता अधिनियम, 1955 की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राजनिष्ठा की शपथ करवाएगा और तत्पश्चात् वह राजनिष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर करेगा तथा उसे दस्तावेजों के सत्यापन से संबंधित संपुष्टि के साथ इलेक्ट्रानिक रूप में सशक्त समिति को अग्रेषित करेगा;

(घ) सशक्त समिति ऐसी जांच कर सकेगी, जो वह आवेदक की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझती हो, जिसके अंतर्गत सुरक्षा अभिकरण से रिपोर्ट प्राप्त करना भी है;

(ङ) खंड (घ) में निर्दिष्ट सुरक्षा अभिकरण की रिपोर्ट ऐसे अभिकरण द्वारा आनलाइन अपलोड की जाए और सशक्त समिति को उपलब्ध होगा;

(च) सशक्त समिति, आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता अनुदत्त कर सकेगी और उक्त नियमों में यथाविहित प्ररूप में, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण या देशीयकरण का प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी;

(छ) नियम 14 के उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र और नियम 15 के उपनियम (1क) के अधीन देशीयकरण का प्रमाणपत्र सशक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित या हस्ताक्षरित किया जाएगा ; और

(ज) सशक्त समिति उक्त नियमों के अनुसार (आनलाइन प्रारूप के अनुसार) रजिस्टर रखेगी, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत या देशीयकृत व्यक्तियों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, जो गृह मंत्रालय और सुरक्षा अभिकरण को उपलब्ध होगा।

3. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 26011/01/2015-आई.सी.-I(पार्ट)]

बी.सी. जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 11th March, 2024

S.O. 1231(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) read with sub-rules (1) and (3) of rule 11A of the Citizenship Rules, 2009, the Central Government hereby specifies the following, namely:-

(i) For the purposes of sub-rule (1) of rule 11A and rule 13A of the Citizenship Rules, 2009, there shall be an Empowered Committee in the States or Union Territories, which shall be headed by the Director (Census Operations) of the State or Union Territory concerned and shall consist of following officers as members, namely: -

(a) an officer in the Subsidiary Intelligence Bureau not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India;

(b) jurisdictional Foreigners Regional Registration Officer concerned;

(c) the State Informatics Officer of National Informatics Centre of the State or Union Territory concerned; and

(d) Post Master General of the State or Union Territory concerned or a Postal Officer nominated by the Post Master General not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India;

(ii) the following officers shall be invitees of the Empowered Committee, namely: -

(a) a representative from the office of Principal Secretary (Home) or Additional Chief Secretary (Home) of the State Government or Union Territory concerned; and

(b) a representative of jurisdictional Divisional Railway Manager of Railways;

(iii) for the purposes of sub-rule (3) of rule 11A and sub-rule (3) of rule 38 of the Citizenship Rules, 2009, there shall be a District Level Committee which shall be headed by the jurisdictional Senior Superintendent or Superintendent of Post who shall be the Designated Officer; and shall consist of the following as members, namely:-

(a) District Informatics Officer or District Informatics Assistant of the District concerned; and

(b) nominee of the Central Government;

(iv) the following officers shall be invitees of the District Level Committee, namely: -

(a) a representative not below the rank of Naib Tehsildar or equivalent from the Office of District Collector; and

(b) jurisdictional Station Master of Railways (subject to availability).

(v) Quorum of each of the above Committees shall be two, including the chair.

2. Grant of citizenship by registration or naturalisation under section 6B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) by the Empowered Committee shall be in accordance with the provisions of the Citizenship Rules, 2009 (hereinafter referred to as the said rules) subject to the following conditions, namely: -

(A) the application for registration as a citizen of India or grant of certificate of naturalisation as citizen of India under the said rules is made by the applicant online;

(B) the verification of the documents submitted by the applicant is done by the District Level Committee as specified in clauses (iii), (iv) and (v) of first paragraph;

(C) the Designated Officer shall administer to the applicant the oath of allegiance as specified in the Second Schedule to the Citizenship Act, 1955 and thereafter, sign the oath of allegiance and forward the same in electronic form along with confirmation regarding verification of documents to the Empowered Committee;

(D) the Empowered Committee may make such inquiry as it considers necessary for ascertaining the suitability of the applicant, including obtaining report from the security agency;

(E) the report of the security agency referred to in clause (D) are uploaded online by such agency and accessible to the Empowered Committee;

(F) the Empowered Committee on being satisfied with the suitability of the applicant, may grant him the citizenship of India by registration or naturalisation, as the case may be, and issue a certificate of registration or naturalisation, as the case may be, in the Form as prescribed in the said rules;

(G) the Certificate of Registration under sub-rule (2A) of rule 14 and Certificate of Naturalisation under sub-rule (1A) of rule 15 shall be digitally signed or signed by the Chairman of Empowered Committee; and

(H) the Empowered Committee shall maintain a register in accordance with the said rules (as per online format), containing the details of persons so registered or naturalised as a citizen of India, which shall be accessible to the Ministry of Home Affairs and the Security Agency.

3. This Order shall come in to force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 26011/01/2015-IC-I(Part)]

B. C. JOSHI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.11 21:30:57 +05'30'